प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2023
प्र.इ.रि.स ...246/23. दिनांक .....14/9/2023.....

2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादस
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं

3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या .....289..... समय .....7:00 PM.....
(2) अपराध के घटने का दिन सोमवार दिनांक 13.09.2023 समय 11.00 ए.एम.
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 09.09.2023 समय 01.41 पी.एम.

4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – हस्तलिखित

5. घटना स्थल : – रोडवेज बस स्टेण्ड के पास, डूगंरपुर।
(1) थाना से दिशा व दूरी – बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 425 किलोमीटर
(2) पता –
..... बीट संख्या ..... जरायमदेही संख्या .....
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ..... जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता –
<u>परिवादी</u>
(1) नाम : श्री बाबूलाल डामोर
(2) पिता का नाम : श्री हलिया डामोर
(3) आयु : 45 वर्ष
(4) राष्ट्रीयता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या ..... जारी होने की तिथि ..... जारी होने की जगह .....
(6) व्यवसाय : ड्राईवर
(7) पता: गांव गामडी अहाडा नयातालाब तहसील बिछिवाडा जिला डुंगरपुर ।

7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित:

1. 1. आरोपी श्री जय सिंह डामोर पिता श्री हीरालाल डामोर उम्र 45 वर्ष मूल निवासी भचडिया पुलिस थाना धम्बोला जिला डूगरपुर हाल निवास 3 बी 9 हाउसिंग बोर्ड शिवाजी नगर जिला डूंगरपुर हाल हैड कानि. नम्बर 596, पुलिस थाना कोतवाली जिला डूगरपुर।
2. श्री राहुल डिन्डोर पुत्र श्री हकरा जी डिन्डोर उम्र 22 वर्ष निवासी वीरपुर पोस्ट बिलडी तहसील डूगंरपुर जिला डूगरपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल)
3. श्री राजू डिन्डोर पुत्र श्री हकरा जी डिन्डोर उम्र 42 वर्ष निवासी वीरपुर पोस्ट बिलडी तहसील डूगंरपुर जिला डूगरपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल)

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

कम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा –20,000/–		परिवादी श्री बाबूलाल डामोर के पुत्र श्री उमेश डामोर व अन्य तीन व्यक्तियों के साथ कुछ दिन पहले एक मोटरसाईकिल डूंगरपुर शहर से चुरा ली थी। उक्त मामले में पुलिस द्वारा किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने और थाने स्तर ही मामला निपटाने की एवज में पुलिस थाना कोतवाली के पुलिस कर्मी जयसिंह डामोर द्वारा प्रत्येक आरोपी के हिसाब से 1,20,000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रह हैं। जहां पर मुझसे जयसिंह

डामोर मिले व उनसे मेरे लडके व अन्य लडको के परिजनों से प्रत्येक से 10–10 हजार रूपये के हिसाब से 40,000 रूपये मौके पर ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर ले लिये तथा अब और शेष 80,000 रूपये (प्रत्येक आरोपी से 20–20 हजार रूपये) की मांग की जा रही है, परिवादी की दिनांक 09.09.2023 की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही कर मांग सत्यापन दिनांक 11.09.2023 को करवाया गया तो आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. 596, पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर द्वारा परिवादी से 20,000 रूपये रिश्वत की मांग कर उसी दिन 5,000 रूपये रिश्वत राशि अपने दलाल श्री राहूल डिन्डोर चाय की थडी वाले को दिलवाये और शेष राशि राहुल डिन्डोर को ही देने हेतु कहा। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही दिनांक 13.09.2023 को आयोजित कर आरोपी की मांग अनुसार 15,000 रूपये रिश्वत राशि आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. के कहने पर रोडजवे बस स्टेण्ड के पास चाय की थडी पर श्री राजू डिन्डोर जो राहुल का भाई है, ने आरोपी हैड कानि. से मोबाईल पर वार्ता कर प्राप्त किये जो दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद किये गये।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 20,000 रूपये रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महोदय,

वाकियात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 09–09–2023 समय 1.41 पी.एम. पर जरिये दूरभाष श्रीमान् उप महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेन्ज उदयपुर श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल द्वारा मुख्यालय से प्राप्त सूचना का सत्यापन हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत कराया गया कि परिवादी श्री बाबुलाल डामोर निवासी डूंगरपुर के मोबाईल नं. 9638572512 है आप इनसे सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करें। तत्पश्चात् समय करीब 1.49 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देशानुसार परिवादी श्री बाबुलाल डामोर निवासी डूंगरपुर के मोबाईल नं. 9638572512 पर सम्पर्क किया गया तो परिवादी श्री बाबुलाल डामोर द्वारा अवगत कराया गया कि ''मेरा बेटा नाबालिग है, उसने तीन अन्य लडको के साथ कुछ दिन पहले एक मोटरसाईकिल डूंगरपुर शहर से चुरा ली थी। उक्त मामले में पुलिस द्वारा किसी के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने और थाने स्तर ही मामला निपटाने की एवज में पुलिस थाना कोतवाली के पुलिस कर्मी जयसिंह डामोर द्वारा प्रत्येक आरोपी के हिसाब से 1,20,000 रूपये की रिश्वत की मांग कर रह हैं, जिस पर मैं थाने पर करीबन 5–7 दिन पहले गया था। जहां पर मुझसे जयसिंह डामोर मिले व उनसे मेरे लडके व अन्य लडको के परिजनों से प्रत्येक से 10–10 हजार रूपये के हिसाब से 40,000 रूपये मौके पर ही मुकदमा दर्ज करने की धमकी देकर ले लिये तथा अब और शेष 80,000 रूपये (प्रत्येक आरोपी से 20–20 हजार रूपये) की मांग कर रहा है।'' परिवादी श्री बाबुलाल डामोर की वार्ता से मामला ट्रेप कार्यवाही का होना पाया जाने से मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही के क्रम में ब्यूरो इकाई पर उपस्थित होने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री बाबुलाल डामोर ने मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया गया कि मुझे जयसिंह डामोर ने फोन कर शाम को बातचीत के लिये थाने पर बुलाया है। मैं अगर उदयपुर आउंगा और समय लग जायेगा तो जयसिंह डामोर को मुझ पर शंका हो जायेगी। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री परिवादी श्री बाबुलाल डामोर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया से अवगत करा लिखित रिपोर्ट हेतु कहा गया कि रिपोर्ट मेरे पास में है मैं आपको मौके पर ही दे दूंगा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वती राशि मांग सत्यापन के बारे में अवगत कराया गया। तत्पश्चात् समय करीब 02.02 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा उपरोक्त मामले के बारें में जरिये दूरभाष हालात श्री विक्रमसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अर्ज किये एवं आवश्यक निर्देश प्राप्त किये। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देशानुसार अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम में श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ट सहायक परिवादी श्री बाबुलाल डामोर की शिकायत से अवगत करा परिवादी से रिपोर्ट प्राप्त कर, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने हेतु राजकीय वाहन एवं ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकार्डर मय नये मैमोरी कार्ड कार्यालय से प्राप्त कर तुरन्त डूंगरपुर के लिये लिए रवाना होने हेतु निर्देशित कर श्री सुरेश जाट कानि. को भी श्री लक्ष्मण सिंह के साथ रवाना किया गया। तथा समय करीब 8.54 पी.एम.पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री सुरेश जाट कानि. से जरिये दूरभाष सम्पर्क कर जानकारी चाही गई तो श्री सुरेश जाट कानि द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराया गया कि मैं व श्री लक्ष्मणसिंह जी कनिष्ट सहायक दोनो उदयपुर से रवाना हो समय करीबन 5.15 पी.एम. पर डूंगरपुर पहुंचे जहां पैर श्री लक्ष्मणसिंह क.सहा. ने परिवादी के मोबाईल पर कॉल कर उसकी लोकेशन पूछी तो परिवादी श्री बाबुलाल डामोर ने बताया कि मैं मेरे ससूराल ओडा की तरफ हूं। जिस पर श्री लक्ष्मणसिंह ने परिवादी श्री बाबुलाल को डूंगरपुर साबेला बाईपास के आस–पास पहुंच कर हमसे सम्पर्क करें। फिर समय करीबन 5.45 पी.एम. पर परिवादी उसके लडके के साथ हमसे मिला। जिस पर लक्ष्मणसिंह कनि.सहा. ने परिवादी से उसका नाम पूछा एवं उसके साथ आये लडके के बारे में पूछा तो परिवादी ने अपना नाम बाबुलाल डामोर एवं उसके साथ

आये उसके लडके का नाम उमेश डामोर होना बताया। फिर लक्ष्मण सिंह जी ने परिवादी बाबुलाल को उसके द्वारा की गई रिश्वती राशि की शिकायत के बारे में पूछा और परिवादी से उसकी लिखित रिपोर्ट प्राप्त की एवं लक्ष्मणसिंह जी ने परिवादी बाबुलाल डामोर को ब्यूरो का डिजीटल के संचालन की विधि समझाई एवं परिवादी को आरोपी के लोकेशन जानने हेतु कॉल करवाया गया तो उसने दो–तीन बार फोन नहीं उठाया। फिर परिवादी को आरोपी हैडकानिस्टेबल जयसिंह के मिलने के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि जयसिंह जी कभी–कभी देर रात को मेरे घर भी आ जाता हैं और दो दिन पहले ही सुबह 6.00 बजे ही जयसिंह मेरे घर पर आ गया था। जिस पर लक्ष्मणसिंह व हम दोनो सरकारी वाहन को एकान्त में साईड में वहीं छोडकर कर परिवादी श्री बाबुलाल डामोर के साथ उसके गांव गामडी अहाडा की ओर रवाना हुए। इस समय तक हम उसके फोन का ही इन्तजार कर रहे हैं और परिवादी के गांव में ही है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ते को आवश्यक हिदायत दी गई एवं उपरोक्त हालात से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराये।

तत्पश्चात् दिनांक 10–09–2023 को समय करीब 8.55 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री लक्ष्मणसिंह क.सहा. ने जरिये दूरभाष अवगत कराया गया कि अभी अभी समय करीबन 8.41 ए.एम. पर आरोपी श्री जयसिंह हैड कानिस्टेबल को फोन परिवादी के मोबाईल पर आया और उसने परिवादी को कहा कि अब तु इस बारे में मेरे बात मत कर, जो भी बात करनी है वासु से कर। जिस पर परिवादी बाबुलाल डामोर ने बताया इसी मामले में श्री जयसिंह हैड साहब से बातचीत हेतु श्री वासू मेरे गांव का रहने वाला है वह मेरे पुत्र श्री उमेश डामोर के मोटर साईकिल चोरी के मामले में वार्तालाप हेतु पुलिस थाना कोतवाली साथ आया था और हैड साहब से वार्तालाप की थी इस कारण हैड साहब वासू से मिलने हेतु मुझे कह रहे है। जिस पर परिवादी को साथ लेकर वासू के घर के लिए मै व सुरेश कानि. परिवादी की बोलेरो पिकअप में बैठ कर गये और परिवादी को वासू के पास भेजा तो परिवादी ने पुनः आकर बताया कि वासू ने तो मना कर दिया है और कहा कि तुम तुम्हारे स्तर पर ही बात करो। परिवादी ने अपने पिकअप वाहन से मुझ व श्री सुरेश कानि. को डूगरपुर शहर छोडा गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा हालात से उच्चाधिकारियों को अवगत करा आवश्यक निर्देश प्राप्त कर निर्देशानुसार ब्यूरो जाब्ता को मय डिजीटल टेप रिकार्डर एवं परिवादी की लिखित रिपोर्ट लेकर उपस्थित होने एवं परिवादी को आरोपी द्वारा रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् पुलिस निरीक्षक को अवगत कराने की हिदायत देकर रवाने होने के निर्देश दिये गये। तत्पश्चात् समय करीब 6.00 पी.एम. पर श्री लक्ष्मणसिंह कनि. सहायक व श्री सुरेश कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के ब्यूरो ईकाई उदयपुर हाजिर आये। प्रार्थना पत्र श्री लक्ष्मण सिह कनिष्ठ सहायक द्वारा प्रस्तुत कर पूर्व में बताये गये तथ्यो की ताईद की गई तथा डिजिटल टेप रिकॉर्ड को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी में रखवाया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये।

तत्पश्चात् दिनांक 11.09.2023 को समय करीब 8.30 ए.एम. पर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को फोन कर बताया गया कि परिवादी बाबूलाल डामोर का फोन आया है तथा आरोपी श्री जयसिंह डामोर ने उसको बातचीत के लिए पुलिस थाना कोतवाली डूगरपुर पर बुलाया है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखे टेप रिकॉर्डर को प्राप्त कर अविलम्ब मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु डूंगरपुर के लिए मुनासिब हिदायत के रवाना गया। तत्पश्चात् समय करीब 11.30 ए.एम. पर परिवादी श्री बाबूलाल डामोर द्वारा दिनांक 09.09.2023 को इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि "मेरा नाम बाबूलाल पुत्र हलिया डामोर उम्र 45 वर्ष जाति डामोर निवासी गामडी अहाडा नयातालाब तहसील बिछिवाडा जिला डूगरपुर थाना रामसागडा का रहने वाला हु, मै अहमदाबाद में बोलेरा केंपर चलाता हु, बच्चे व पत्नी गांव में रहते है, मेरा बेटा उमेश जो नाबालिग है, अन्य तीन लडको ने कुछ दिन डूगरपुर शहर से एक मोटर साईकिल चोरी कर ली थी, कुछ दिन पहले पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर से जयसिंह डामोर व अन्य पुलिस वाले घर आए व धमकाया व सुबह थाने आने के बोला अगले दिन जब मै व अन्य लडको के परिजन थाने गए तो जयसिंह डामोर ने हम सभी से मोटर साईकिल चोरी से मेरे बच्चे व अन्य लडको के खिलाफ केस नहीं बनाने की एवज् में एक लाख बीस हजार रूपये मांगे व डरा धमकाकर 10,000 रूपये प्रत्येक के हिसाब 40,000 वहीं हम लोगो से लिए अब हर बच्चे के 20,000 और देने के दबाव डाल रहे है नहीं तो बच्चो को केश मे फसा देने की धमकी दे रहे तथा स्वय तथा थानेदार CI के नाम पर 80,000 रूपये कि मांग कर रहे है, हमारी जयसिंह डामोर व CI साहब से कोई दुश्मनी व लेन देन वगैरा नहीं है, कृपया भ्रष्ट पुलिस वालो के खिलाफ कानुनी कार्यवाही करावे।" इत्यादि प्रस्तुत किया गया। श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अब तक की ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात निवेदन कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तो श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर अग्रिम कार्यवाही पृष्ठाकन कर मन् पुलिस निरीक्षक को अग्रिम कार्यवाही निर्देशित करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किये गये। तत्पश्चात् समय करीब 6.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा फोन कर बताया कि "आपके निर्देशानुसार मै ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर

लेकर डूगरपुर की तरफ रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली से कुछ दुर पहले से पाबन्द शुदा परिवादी श्री बाबूलाल डामोर से मिला। मैने ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश की गई तथा आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर 9638572512 से आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. के मोबाईल नम्बर 8005724436 पर समय करीब 1.42 पी.एम. पर कॉल करवाया तो आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. ने समय मिलने पर परिवादी से मिलना बताया उक्त वार्ता को परिवादी के लाउड स्पीकर ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात् आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. का परिवादी के मोबाईल फोन पर करीब दो घण्टे तक कॉल नहीं आने से परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर पुनः संचालन विधि समझाते हुए सुपुर्द करते हुए रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु पुलिस थाना कोतवाली परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा मै अपनी निजी मोटर साईकिल से परिवादी के पीछे पीछे कोतवाली के आसपास अपनी उपस्थिति छूपाकर मूकिम रहा। थोडी देर बाद परिवादी श्री बाबूलाल डामोर पुलिस थाना कोतवाली से बाहर आकर मुझसे मिला और बताया कि थाने में जयसिंह डामोर हैड कानि. के बारे में जानकारी प्राप्त की तो थाने पर उपस्थित किसी पुलिस जाप्ते ने जयसिंह जी हैड साहब को फोन किया जिस पर हैड साहब जयसिंह जी द्वारा मुझे पुलिस चौकी रोडवेज बस स्टेशन डूगरपुर मिलने हेतु बुलाया है। जिस पर परिवादी श्री बाबूलाल डामोर को रिश्वत राशि मांग सत्यापन बाबत् आवश्यक हिदायत करते हुए पुलिस चौकी रोडवेज़ बस स्टेशन के लिए रवाना कर परिवादी के पीछे पीछे मन् कनिष्ठ लिपिक भी रवाना होकर बस स्टेशन के आस पास पहुचकर मुकिम रहा। लगभग एक घण्टे बाद परिवादी मेरे पास आया और टेप रिकॉर्डर चालू हालात में मुझे सुपुर्द किया जिसे मने बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि पुलिस चौकी रोडवेज बस स्टेशन पहुचा जहाँ पर श्री जयसिंह हैड साहब उपस्थित मिले जिनके द्वारा मुझसे बातचीत करते हुए पुलिस चौकी से बाहर ले जाकर 20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तो मैने 5000 रूपये हैड साहब को उनकी मांग के अनुसार देना चाह, तो उन्होने अपने हाथो से ग्रहण नहीं कर मुझे रोडवेज बस स्टेशन के मुख्यद्वार के पास बनी चाय की थडी पर ले गये वहा पर श्री राहुल नामक व्यक्ति से परिचय करवाते हुए 5000 रूपये रिश्वत राशि राहुल को दिलवाये तथा बकाया रिश्वत राशि 15000 रूपये भी राहुल चाय की थडी वाले को देने हेतु कहा है और श्री जयसिंह हैड साहब ने कहा है कि न तो तुझे मिलूगा और न ही तेरा फोन उठाउगा और कहा कि बकाया रिश्वत राशि राहुल को ही देने हेतु कहा। श्री राहुल ने भी वार्तालाप के समय बताया कि लेन देने का काम मै ही करता हूँ और राहुल ने भी बकाया रिश्वत राशि ग्रहण करने की सहमति दी गई है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा जरिये दूरभाष परिवादी श्री बाबूलाल डामोर से वार्ता की तो श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा बताये गये कथनो की ताईद की गई। श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक को अविलम्ब ब्यूरो ईकाई उदयपुर मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर उपस्थित आने तथा परिवादी श्री बाबूलाल डामोर को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 12.09.2023 को ब्यूरो ईकाई उदयपुर पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। तत्पश्चात् समय करीब 9.30 पी.एम. पर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक ब्यूरो ईकाई उदयपुर पर उपस्थित आया तथा टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत करते हुए जरिये दूरभाष रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही के बाबत् बताये गये तथ्यो की ताईद की। डिजिटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित कार्यालय की अलमारी मे रखा गया। दिनांक 12.09.2023 को समय करीब 1.00 पी.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री बाबूलाल डामोर व उसका पुत्र श्री उमेश डामोर ब्यूरो कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित आने पर श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक ने परिवादी व उसके पुत्र से मन् पुलिस निरीक्षक से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी व उसके पुत्र को मन् पुलिस निरीक्षक के कार्यालय कक्ष में बैठाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ की गई तथा परिवादी ने भी रिश्वत राशि मांग सत्यापन के तथ्यो से अवगत करवाते हुए बताया कि मै रिश्वत राशि 15,000 रूपये साथ लेकर आया हूँ। तत्पश्चात् समय करीब 1.30 पी.एम. पर जरिये दूरभाष पूर्व से पाबन्द शुदा गवाहन श्री भीम कुमार वर्मा सहायक लेखाधिकारी तथा श्री अरूण कुमार मीणा कनिष्ठ सहायक कार्यालय संभागीय मुख्य वन सरक्षक, उदयपुर उपस्थित आये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह सम्मिलित रहने हेतु दोनों गवाहों से उनकी सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक सहमति प्रदान की। जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाह का परिवादी से आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2023 पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द-ब-शब्द स्वयं के पुत्र श्री उमेश डामोर की हस्तलिपि में अंकित होकर स्वयं एवं पुत्र उमेश के हस्ताक्षर होने तथा अंकित तथ्यों के सत्य होने की पुष्टि की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी ने यह भी बताया कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने से उक्त प्रार्थना पत्र मेरे पुत्र उमेश डामोर से बोल बोल कर लिखवाया गया तथा मौके पर उपस्थित उमेश डामोर ने परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद की।

तत्पश्चात् समय करीब 2.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष, दिनांक 11.09.2023 को परिवादी एवं आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. पुलिस थाना कोतवाली डूगरपुर व श्री राहुल प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मध्य रोडवेज बस स्टेशन के पास पर रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन

वार्ता जिसे परिवादी द्वारा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त टेप रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर के बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा अन्य एक आवाज श्री जयसिंह डामोर हैड साहब व दूसरी आवाज श्री राहुल नामक व्यक्ति की होने की ताईद की। वार्ता को सुनकर स्वतंत्र गवाह द्वारा रिश्वत राशी मांग करने की पुष्टि की। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट श्री लक्षमण सिंह कनि. सहा. से स्थानीय भाषा का रूपांतरण हिन्दी भाषा में करवा कनिष्ठ लिपिक से ही फर्द ट्रांसकिप्ट टाईप करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को श्री टीकाराम कानि. द्वारा सीलचिट किया जाकर गया तथा गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समय करीब 5.15 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री बाबूलाल डामोर को आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. के कहे अनुसार आरोपी श्री राहुल प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से 500-500 रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये गये। परिवादी श्री बाबूलाल डामोर द्वारा पेश किये गये उक्त समस्त नोटो पर श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से अलमारी में रखी फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को मंगवाया जाकर दो अखबार बिछाकर अखबार पर उपरोक्त नोटों पर अलग-अलग दोनो ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था। दर्ज रहे कि उक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 13.09.2023 को आयोजित की जानी है, इसलिए उक्त नोटो को एक खाकी लिफाफे में श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से सुरक्षित ट्रेप बाक्स में रखवाया गया। तत्पश्चात् श्री सुरेश कानि. से एक प्लास्टिक का डिस्पोल गिलास पारदर्शी में पानी कार्यालय में रखे कैम्पर से साफ पानी भरवाकर मंगवाया इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होनें घोल को रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस उपरान्त घोल में श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक की उंगलियों व अंगुठे को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर बताई गई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपीगण द्वारा परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनोफ्थलीन पाउडर उनकी हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों व अंगुठे को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से फिकवाया गया तथा अखबार व प्लास्टिक के डिस्पोल गिलास पारदर्शी को नष्ट किया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से ही ब्यूरो कार्यालय की अलमारी में रखवाई गई तथा परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपीगण के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उसके शरीर के किसी अंग को नहीं छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे, तथा रिश्वती राशि दे चुकने के बाद अपने सिर पर दो बार हाथ फैरकर गोपनीय निर्धारित ईशारा करें। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। श्री सुरेश कानि से ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। इसके पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो गवाहान, परिवादी एवं स्टाफ का आपस मे परिचय करवाया गया। तत्पश्चात गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपीगण के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप, बाक्स को ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 5.50 पी.एम. पर दोनो स्वतन्त्र गवाहन को दिनांक 13.09.2023 को प्रातः 6.30 ए.एम. पर ब्यूरो ईकाई उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर आवश्यक हिदायत देकर रूकसत किया गया तथा परिवादी व उसके पुत्र को प्रातः जल्दी ट्रेप कार्यवाही की स्थिति को देखते हुए ब्यूरो चौकी पर ही मुकिम रहने की हिदायत दी गई। ब्यूरो चौकी के जाप्ते को भी प्रातः 6.30 ए.एम. पर चौकी हाजा पर उपस्थित होने हेतु आवश्यक हिदायत दी गई।

तत्पश्चात् दिनांक 13.09.2023 को समय करीब 6.45 ए.एम. परमन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप बाक्स में रखे लिफाफे में पूर्व में रखी परिवादी बाबूलाल डामोर द्वारा पेश की गई रिश्वत राशि 500-500 रूपये 30 नोट कुल 15,000 रूपये श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक से निकलवाकर परिवादी श्री बाबूलाल डामोर की पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखवाई गई। परिवादी को पुनः हिदायत दी गई की आरोपी के रिश्वत राशि मांगने पर ही देवे तथा आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर दो बार हाथ फेर कर निर्धारित ईशारा करे या गोपनीय तरीके से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल फोन पर मिस कॉल करके ईशारा करे। यह

निर्धारित ईशारा स्वतन्त्र गवाहन व ब्यूरो टीम के सदस्यों को समझाया गया तथा श्री गजाराम वरिष्ठ सहायक को ब्यूरो कार्यालय पर ही राजकार्य करने की हिदायत दी जाकर वही छोडा गया। तत्पश्चात समय करीब 7.05 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन श्री अरूण कुमार मीणा व ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज कानि., श्री मांगीलाल कानि. व श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक के सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री विक्रम सिंह तथा श्री टीकाराम कानि., श्री सुरेश कानि. स्वतन्त्र गवाह श्री भीम कुमार वर्मा व परिवादी श्री बाबूलाल डामोर एवं उसका पुत्र श्री उमेश डामोर के मय ट्रेप बाक्स मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के ब्यूरो ईकाई उदयपुर से डूंगरपुर के लिए रवाना होकर समय करीब 9.30 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन श्री अरूण कुमार मीणा व ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज कानि., श्री मांगीलाल कानि. व श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ठ सहायक के सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री विक्रम सिंह तथा श्री टीकाराम कानि., श्री सुरेश कानि. स्वतन्त्र गवाह श्री भीम कुमार वर्मा व परिवादी श्री बाबूलाल डामोर व उसके पुत्र श्री उमेश डामोर के मय ट्रेप बाक्स मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक के ब्यूरो ईकाई उदयपुर से रवाना शुदा अपने-अपने वाहनो में डूंगरपुर नवा डेरा चौराहे के आस पास पहुच परिवादी बाबूलाल डामोर के पुत्र श्री उमेश डामोर का स्वास्थ्य खराब होने से पूर्व से तलब शुदा उसकी पत्नी श्रीमती सीता देवी को सुरक्षित संभलवाकर स्वास्थ्य केन्द्र में दिखाने हिदायत दी जाकर वास्ते अग्रिम कार्यवाही एलआईसी ऑफिस के सामने साबेला तालाब के किनारे पर पहुचे तथा तलबीदा शुदा ब्यूरो ईकाई डूंगरपुर के कानि. श्री वीर विक्रम सिंह की उपस्थित आने के इन्तजार में मुकिम रहे। तत्पश्चात् समय करीब 10.10 ए.एम. पर तलबिदा शुदा श्री वीर विक्रम सिंह कानि. ब्यूरो ईकाई डूंगरपुर मय प्राइवेट मोटर साईकिल के मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानो के मुकिम हुए स्थान डूंगरपुर शहर एलआईसी ऑफिस के सामने साबेला तालाब पर हाजिर आया।

तत्पश्चात् समय करीब 10.25 ए.एम. पर परिवादी श्री बाबूलाल डामोर को डिजिटल टेप रिकॉर्डर सुपुर्द करते हुए संचालन विधि समझाकर रिश्वत राशि लेन देन के वक्त होने वाला वार्ता को रिकॉर्ड करने की मुनासिब हिदायत देकर परिवादी श्री बाबूलाल डामोर, श्री लक्ष्मण सिंह कनिष्ट सहायक व श्री मांगीलाल कानि. को मोटर साईकिल से रोडवेज बस स्टेशन डूंगरपुर की तरफ रवाना करते हुए मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहन श्री अरूण कुमार मीणा व श्री भीम कुमार वर्मा मय ब्यूरो जाप्ता श्री पंकज कानि., श्री वीर विक्रम सिंह कानि. के प्राईवेट वाहन मय चालक परिवादी के पीछे पीछे रवाना हुई तथा श्री विक्रम सिंह कानि. को सरकारी वाहन से प्राईवेट वाहन से कुछ दूरी रखते हुए पीछे पीछे आने हेतु निर्देशित किया गया तथा ब्यूरो के कानि. श्री टीकाराम व सुरेश को वास्ते ईमदाद उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह के साथ आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. को डिटेन करने हेतु पुलिस थाना कोतवाली की तरफ रवाना किया गया जाकर उसके पीछे पीछे मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियनो के अपने-अपने वाहनो से रोडवेज बस स्टेशन डूंगरपुर के पास पहुच परिवादी श्री बाबूलाल डामोर को मोटर साईकिल से उतारकर मुनासिब हिदायत के रोडवेज बस स्टेशन के पास स्थित चाय की थडी के लिए रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियनो के परिवादी श्री बाबूलाल डामोर के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहे।

तत्पश्चात् समय करीब 11.00 ए.एम. पर आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. की रिश्वत राशि की मांग के अनुसार रिश्वत राशि देने के लिए परिवादी श्री बाबुलाल डामोर रोडवेज बस स्टेशन के मुख्य गेट बांसवाडा रोड डूंगरपुर स्थित चाय की थडी पर आरोपी श्री राहुल से सम्पर्क कर रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया गया, जिसने करीब 11.00 ए.एम. पर चाय की थडी चलाने वाले व्यक्ति से वार्तालाप करने के बाद उस व्यक्ति को रिश्वत राशि देकर चाय की थडी से कुछ कदम आगे चलकर अपने अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य तेज-तेज कदमों से चलकर परिवादी के पास पहुचें। जहां पर परिवादी ने डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश की, जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। मन् पुलिस निरीक्षक को परिवादी ने बताया कि चाय की थडी पर आया तो राहुल नहीं मिला तो मैने अपने मोबाईल फोन 9638572512 से जयसिंह हैड साहब के फोन नम्बर 8005724436 पर समय करीब 10.48 ए.एम. पर फोन किया कि चाय थडी पर राहुल नहीं हैं, तो रूपये किसको दूं तो जयसिंह हैड साहब ने कहा कि राहुल का भाई राजु होगा उसको दे दे। इसके तुरन्त बाद चाय की थडी पर खडे व्यक्ति के मोबाईल पर हैड साहब का फोन आया तो उस व्यक्ति (राजु) ने मेरा नाम पुछा और कहा कि हैड साहब का फोन आया हैं, वह पैसे मुझे दे दे तो मैने हैड साहब के कहने पर चाय की थडी पर मौजूद राजू द्वारा मांगने पर 15000 रूपये राजु को दे दिये हैं और इसने रिश्वत राशि अपने हाथों से ग्रहण कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की आगे की दाहिनी जैब में रख दिये हैं। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान गवाहन जाप्ता परिवादी के रोडवेज बस स्टेशन चाय की थडी पर पहुचे तो वहा एक व्यक्ति खडा हुआ मिला उक्त व्यक्ति की ओर परिवादी श्री बाबूलाल डामोर ने हाथ से ईशारा कर बताया कि ये राजू है इनको मैने श्री जय सिंह डामोर द्वारा रिश्वत राशि 15,000 रूपये उनकी मांग के अनुसार उनके द्वारा मोबाईल पर थडी पर मौजूद राजू जो राहूल का भाई है को देने के लिए कहा था, उसके

मांगने पर 15,000 रूपये दे दिये। श्री जयसिंह डामोर हैड साहब ने राजू को उसके फोन पर भी फोन करके रिश्वत राशि 15,000 रूपये उनकी मांग के अनुसार राजू को देने के लिए कहा था। साथ ही श्री जयसिंह डामोर हैड साहब ने कहा राजू राहूल का भाई है। उक्त रिश्वत राशि श्री जयसिंह डामोर हैड साहब ने मेरे बेटे श्री उमेश डामोर को मोटर साईकिल चोरी के मुकदमे में आरोपी नहीं बनाने की एवज् में 20,000 रूपये की मांग करके 5,000 रूपये राजू के भाई राहूल को दिनांक 11.09.2023 को उनकी मांग के अनुसार दिलवाये थे तथा शेष राशि इसी चाय की लारी पर राहुल को देने हेतु कहा था। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने चाय की लारी पर खडे उक्त व्यक्ति से अपना व दोनों गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देते हुये अपने आने के मन्तव्य से अवगत कराया तथा उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजु पिता हंकरा जी डिन्डोर उम्र 42 वर्ष निवासी वीरपुर पोस्ट बिलडी तहसील व जिला डूगरपुर होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राजु से परिवादी श्री बाबुलाल डामोर से ग्रहण की गयी रिश्वती राशि के बारे में पूछा गया तो उक्त रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की दाहिनी जैब में होना बताया। जिस पर श्री राजु को परिवादी श्री बाबुलाल से 15000 रूपये किस बात के ग्रहण किये है के संबंध में पूछा गया तो श्री राजु ने घबराते हुये कहने लगा कि अभी-अभी श्री जयसिह हैड साहब का इनके मोबाईल नम्बर 9414567625 से मेरे मोबाईल नम्बर 9660503752 पर समय करीब 10.49 ए.एम. पर फोन आया था और कहा कि बाबुलाल आया हैं वह तुझे 15000 रूपये देगा वह रख लेना तथा मैने मेरे मोबाईल से बाबूलाल की भी बात करवाई थी। मैने हैड साहब के कहने पर इनके (बाबुलाल) द्वारा मुझे 15000 रूपये दिये, जो मैने अपने हाथ से ग्रहण कर दोनों हाथों से गिनकर अपनी पहनी हुई जिन्स पेन्ट की आगे की दाहिनी जैब में रख लिये हैं। जो अभी भी मेरी जेब मे सुरक्षित रखे हुए है। मैने केवल जयसिंह हैड साहब का फोन आने पर व उनके कहने पर मैने श्री बाबुलाल से रूपये ग्रहण किये थे। जयसिंह हैड साहब पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर पर पदस्थापित होकर रोडवेज बस स्टेड परिसर में पुलिस चौकी होने से चाय पीने व पुलिस चौकी पर चाय मंगवाने पर सप्लाई करता हूं। इस कारण आपस में जयसिंह हैडसाहब की जान-पहचान हैं। आरोपी ने बताया कि साहब मैने श्री बाबूलाल से कोई रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है, जिस पर परिवादी बाबूलाल ने बताया की श्री जयसिंह डामोर हैड साहब द्वारा रिश्वत राशि का लेन देन इसी चाय की थडी पर किया जाता है। दिनांक 11.09.2023 को भी रिश्वत राशि 20000 रूपये मे से 5,000 रूपये श्री जयसिंह डामोर हैड साहब के द्वारा उनकी मांग के अनुसार उक्त चाय की थडी पर मौजूद राहुल जो राजू का संगा भाई है ने ग्रहण किये थे तथा शेष 15,000 रूपये रिश्वत राशि जयसिंह डामोर हैड साहब की मांग के अनुसार एक दो दिन में राहुल को इसी चाय की थडी पर राहुल को देने हेतु कहा था। लेकिन आज राहुल नहीं था। तो श्री जयसिंह डामोर ने मुझे फोन पर शेष रिश्वत राशि उनकी मांग के अनुसार राहुल के भाई राजू को देने के लिए कहा था। श्री जय सिंह डामोर ने भी राजू को फोन कर मुझसे शेष रिश्वत राशि 15,000 रूपये लेने के लिए कहा था। जिस पर राजू ने मुझसे 15,000 रूपये मांग कर लिए थे तथा उसके फोन से मेरी जयसिंह डामोर हैड साहब से भी वार्ता करवाई थी। राहुल व राजू दोनो सगे भाई हो ये चाय की थडी चलाते है तथा श्री जयसिंह डामोर हैड साहब के लिए दलाली का काम करते है, ये बात मुझे दिनांक 11.09.2023 को भी राहुल ने मांग सत्यापन के दौरान कही थी कि जयसिंह डामोर हैड साहब हर किसी को पैसा नहीं दिलवाते है। हमारी चाय की थडी पर ही लेन देन होता है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देश पर स्वतंत्र गवाह श्री भीम कुमार वर्मा से श्री राजु की पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की दाहिनी जैब की तलाशी ली तो जैब में सिमटे हुऐ 500-500 रूपये नोट बरामद हुए। इसके उपरान्त मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान से उक्त बरामदशुदा रिश्वती राशि 15,000 रूपये का मिलान पूर्व में मूर्तिब फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से किया गया तो उक्त नोटो के नम्बर का मिलान हूबहू पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट से होना पाया गया।

तत्पश्चात् रिश्वत राशि 15,000 रूपये स्वतंत्र गवाह श्री भीम कुमार वर्मा को सुरक्षित संभलवाई गई तथा उक्त गवाह के हाथ पेपर सोप व साफ पानी से धुलवाये गये। मौके पर ट्रेप कार्यवाही हेतु लिखा पढी का उपयुक्त स्थान नहीं होने से व मुख्य रोड होकर लोगों व वाहनों आवाजाही होने से तथा ट्रेप कार्यवाही संदिग्ध श्री राहुल व आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. से पूछताछ की जाना वांछित होने से श्री राहुल के बारे में पूछताछ की गई तो राजु ने बताया कि वह गांव बिलडी स्थित घर पर खाना खाने गया है जिस पर उसी अवस्था में राजू को सरकारी वाहन बोलेरो में बिठाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री अरूण कुमार मीणा व ब्यूरो जाप्ता श्री मांगीलाल कानि. व पंकज कानि. मय चालक श्री विक्रमसिंह के मौके से बिलडी के लिए रवाना होते हुये अन्य ब्यूरो जाप्ता श्री टीकाराम कानि., श्री सुरेश कानि. व वीर विक्रमसिंह कानि. व स्वतंत्र गवाह श्री भीम कुमार वर्मा मय प्राईवेट वाहन व चालक को आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. की पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर व उसके रिहायशी मकान पर तलाश हेतु रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री अरूण कुमार व ब्यूरो जाप्ता व डिटेन शुदा श्री राजु मय सरकारी वाहन बोलेरा व चालक के मौके से रवाना शुदा गांव बिलडी श्री राहुल के मकान पर पहूंचे चहा पर श्री राहुल उपस्थित मिला, जिसको मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानों का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताते हुये उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम

श्री राहुल पिता हकरा जी डिन्डोर उम्र 22 वर्ष निवासी वीरपुर पोस्ट बिलडी तहसील व जिला डूंगरपुर होना बताया। श्री राहुल को हमराह लेकर गांव बिलडी से मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियानों के रवाना होकर पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर पहूचे। पुलिस थाने पर श्री अशोक कुमार कलाल, सहायक उप निरीक्षक, डीओ ऑफिसर व अन्य पुलिस जाप्ता उपस्थित मिला। डीओ ऑफिसर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंय व स्वतंत्र गवाहान व हमराहियानों का परिचय देकर आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. के बारे में पुछा गया तो उन्होने बताया कि हैड कानि. किसी तफतीश में शहर डूंगरपुर से बाहर गया हुया हैं जो आयन्दा हैड कानि. की आमद रवानगी रोजनामचा आम की रपट की प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की जायेगी। स्वतंत्र गवाह श्री भीम कुमार वर्मा व ब्यूरो जाप्ता श्री टीकाराम, सुरेश, वीरविक्रमसिंह कानिगण् व प्राईवेट वाहन मय चालक भी पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर आये और श्री टीकाराम कानि. ने बताया कि आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. की रिहायशी मकान पर मालुमात की गई तो वह उसके निवास पर नहीं मिला हैं किसी बाहर जाना ज्ञात आया हैं। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा डीओ ऑफिसर से ट्रेप कार्यवाही अग्रिम लिखा पढी हेतु एक सुरक्षित कमरा चाहनें पर उपलब्ध कराया गया, जिसमें अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की।

रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.09.2023 को आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि., श्री राहुल प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) व परिवादी श्री बाबूलाल डामोर तथा रिश्वत राशि लेन देन वार्ता दिनांक 13.09.2023 को परिवादी श्री बाबूलाल डामोर, आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. व श्री राजू प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) के मध्य हुई वार्ता जो ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता को आरोपीगण श्री राहुल व राजू को बारी बारी से सुनाई गई तथा आरोपी श्री राहुल को परिवादी श्री बाबुलाल से दिनांक 11.09.2023 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. के साथ मिलकर आरोपी हैड कानि. के कहने पर परिवादी श्री 5000 रूपये रिश्वत राशि किस बात की ग्रहण की गई और बकाया 15000 रूपये रिश्वत राशि की भी मांग करते हुये देने हेतु कहा गया था, जिस पर श्री राहुल ने कहा कि साहब गलती हो गई हो मुझे माफ कर दो। दिनांक 11.09.2023 को चाय की थडी पर था कि जयसिंह जी हैड साहब व यह व्यक्ति श्री बाबुलाल आये थे और जय सिह हैड साहब के कहने पर मैने श्री बाबुलाल से 5000 रूपये लिये थे और बकाया 15000 रूपये भी श्री जयसिंह हैड साहब ने मुझे ही देने के लिए कहा था तथा मैने बाबूलाल को भी 15,000 रूपये मुझे ही देने के लिए कहा था, परन्तु आज मै नहाने–धोने व खाना के लिए घर गांव बिलडी आया था। इसी दौरान श्री बाबुलाल से मेरे भाई राजु को बकाया 15000 रूपये ग्रहण कर लिये हो तो मुझे जानकारी नहीं हैं। आज मेरी जयसिंह हैड साहब से फोन पर बात नहीं हुई हैं। जयसिंह हैड साहब के पास भी मेरे भाई राजु के भी मोबाईल नम्बर हैं। जिस पर उपस्थित परिवादी श्री बाबूलाल डामोर ने उपस्थित गवाह के समक्ष कहा कि ये दोनो भाई श्री जयसिंह डामोर हैड साहब के लिए रिश्वत राशि लेन देन का काम करते है, इसलिए ही राहुल ने 5000 रूपये दिनांक 11.09.2023 को मुझसे ग्रहण किये थे तथा शेष राशि 15,000 रूपये भी देने के लिए कहा था। आज जब में शेष रिश्वती राशि 15,000 रूपये चाय की थडी पर राहुल को देने के लिए गया था तो वो वहा नहीं मिला तो मैने जयसिंह डामोर हैड साहब को पूछा की ये पैसे किसे दू तो उन्होने कहा राहुल के भाई राजू को दे दो तथा उन्होने राजू को फोन भी किया था। उक्त रिश्वत राशि श्री जयसिंह डामोर हैड साहब ने मेरे बेटे श्री उमेश डामोर को चोरी के मुकदमे आरोपी नहीं बनाने की एवज् में मांग की थी तथा उक्त दोनो दलालो श्री राहुल व राजू के मार्फत ये राशि ग्रहण की गई है। जिस पर श्री राहुल से दिनांक 11.9.2023 को ली गई रिश्वती राशि 5000 रूपये के बारे में पूछा तो बताया कि वो पैसे तो उसी दिन शाम को श्री जयसिंह डामोर हैड साहब मेरी चाय की थडी पर आकर ले गये थे। आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. के मोबाईल की लोकेशन के सम्बन्ध में पता किया तो आरोपी का मोबाईल फोन स्वीच ऑफ आया। श्री राजु से पुनः परिवादी श्री बाबुलाल से 15000 रूपये रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत् पुछताछ की गई तो आरोपी श्री राजु ने बताया कि श्री बाबुलाल चाय की थडी पर आये थे और इसी दौरान श्री जयसिंह हैड साहब द्वारा उनके मोबाईल से मेरे मोबाईल पर फोन किया था और कहा कि श्री बाबुलाल नामक व्यक्ति चाय की थडी पर आया और वह रूपये देगा वह ले लेना। जिस पर स्वतः परिवादी श्री बाबुलाल ने कहा कि जब मैं चाय की थडी पर आया और राहुल नहीं मिलने से मैने जयसिंह हैड साहब को फोन किया तो उन्होने रिश्वत राशि राजु को देने हेतु कहा और उसके मोबाईल पर फोन किया। श्री जयसिंह हैड साहब ने मेरे पुत्र श्री उमेश व अन्य के विरूद्ध पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर पर मोटर साईकिल चोरी करने के मामले में केस नहीं बनाने की एवज में डरा धमका कर 1,20,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुये पूर्व में 40,000 रूपये ले लिये और अब हर बच्चे के 20 हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई और मांग सत्यापन के दौरान दिनांक 11.09.223 को 5 हजार रूपये जयसिंह हैड साहब के कहने पर श्री राहुल ने ग्रहण किये और बकाया रिश्वत राशि 15 हजार रूपये राहुल को देने थे जाने पर परन्तु चाय की थडी पर राहुल नहीं मिला, जिस पर मैने अपने मोबाईल फोन से हैड साहब को फोन किया तो उन्होने 15000 रूपये रिश्वत राशि राहुल के भाई राजु को देने हेतु कहा और हैड साहब ने राजु को भी जरिये मोबाईल फोन करके मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण करने हेतु कहा गया, जिस

पर मैने हैड साहब के कहने पर राजु को दिये हैं। जयसिंह हैड साहब व राहुल व राजु दोनों भोई ने मिलीभगत कर मुझसे रिश्वत राशि की मांग करते हुये ग्रहण किये गये हैं। इसके उपरान्त उपरान्त नियगानुसार हाथ धुलाई की कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष प्रारम्भ करते हुए श्री टीकाराम कानि से प्राईवेट वाहन में से ट्रेप बॉक्स को मंगवाया, जिसमे से दो साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास पारदर्शी में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। एक प्लास्टिक डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के घोल में आरोपी श्री राजु के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित करा श्री टीकाराम कानि. से सिलचिट करवा चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार आरोपी श्री राजु के बायें हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को दूसरे प्लास्टिक डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने भी स्वीकार किया। इस हल्के गुलाबी घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा श्री टीकाराम कानि. से सिलचिट करवा व कपड़े पर दोनो गवाहान एवं सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके उपरान्त स्वतंत्र गवाह श्री भीमकुमार वर्मा के पास सुरक्षित रखी हुई रिश्वत राशि 15000 रूपये को एक सफेद कागज में श्री टीकाराम कानि. से सिलचिट करवा दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री राजु द्वारा रिश्वत राशि परिवादी श्री बाबुलाल से ग्रहण कर अपनी पहनी हुई जिन्स की पेन्ट की आगे दाहिनी जैब रखी गई जो दौराने ट्रेप कार्यवाही बरामद हुई हैं, जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक हैं। आरोपी श्री राजु के पहनने हेतु लॉवर मंगवाया जाकर आरोपी श्री राजु द्वारा पहनी हुई जिन्स की पेन्ट को ससम्मान उतरवाई जाकर लॉवर पहनाया गया। इसके बाद श्री टीकाराम कानि. से ट्रेप बाक्स में रखे एक साफ प्लास्टिक की डिस्पोजल गिलास पारदर्शी में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया। तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, जिन्हें दोनो स्वतन्त्र गवाहान व हाजरीन को दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री राजु के जिन्स पेन्ट दाहिनी जैब जिससे रिश्वत राशि बरामद हुई थी उसे उलटकर डुबोकर धुलवाई गई तो धोवन के घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन ने स्वीकार किया। इस घोल को कॉच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाकर बन्द करा मार्क पी-1 व पी.-2 अंकित करा श्री टीकाराम कानि. से सिलचिट करवा चिट व कपड़े पर दोनो गवाहान, परिवादी एवं आरोपी के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी श्री राजु की जिन्स की पेन्ट बंरग हल्का आसमानी हैं। दाहिनी जैब को धुप सुखाकर जैब पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली डालकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर कपडे की थैली को श्री टीकाराम कानि. से सिलचिट किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौराने आरोपी श्री राजु के दोनों हाथों का धोवन व पेन्ट की जैब के धोवन में उपयुक्त तीन पारदर्शी प्लास्टिक डिस्पोजल गिलासों को जलाकर नष्ट किया गया। आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि0 व अन्य पुलिस जाप्ता पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर से राज्य कार्य बाहर गये हुआ हैं तथा आरोपी श्री जयसिंह मूल निवासी गांव भचडिया, थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर का रहने वाला होकर वर्तमान में निवास स्थल 3बी9, हाउसिंग बोर्ड शिवाजी नगर शहर डूंगरपुर में अपने परिवार सहित निवास कर रहा हैं। उक्त स्थान की खानातलाशी ली जाना वांछित होने से उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया।

तत्पश्चात् समय करीब 02.10 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ड्युटी अधिकारी श्री अशोक कुमार कलाल, सहायक उप निरीक्षक परिवादी श्री बाबूलाल डामोर के पुत्र श्री उमेश डामोर के विरूद्ध मोटरसाईकिल चोरी बाबत् पुलिस थाना कोतवाली डूंगरपुर में दर्ज सम्बन्धित पत्रावली चाही गई तो श्री अशोक कुमार द्वारा पुलिस थाना कोतवाली जिला डूगरपुर पर दर्ज प्रकरण संख्या 245/2023 जुर्म धारा 379 भादस की मूल पत्रावली प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रार्थी श्री राहुल पिता श्री कजरूलाल हरिजन निवासी फलोज फला पीपली घाटी देवसोमनाथ रोड थाना दोवडा जिला डूंगरपुर द्वारा दिनांक 01.07.2023 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उक्त प्रकरण दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान श्री जयसिंह हैड कानि. नम्बर 596 के जिम्मे किया गया है। हैड कानि. द्वारा प्रकरण में केस डायरी संख्या 01 दिनांक 01.07.2023 के द्वारा अनुसंधान शुरू किया गया तथा दिनांक 02.07.2023 को प्रार्थी श्री राहुल के बयान लेखबद्ध किये गये है व दिनांक 02.07.2023 को घटना स्थल का निरीक्षण कर अपराध विवरण फार्म तैयार कर गुर्तिब किया गया है। कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर के पत्रांक 4257 दिनांक 03.08.2023 के द्वारा श्रीमान् एसीजेएम साहब, न्यायालय डूंगरपुर को प्रकरण संख्या 284/2023 धारा 379, 511 भादस में गिरफ्तार शुदा अभियुक्त श्री गोविन्द पिता श्री कमलाशंकर कटारा उम्र 20 वर्ष निवासी माथूगामडा फला हमात थाना सदर

डूंगरपुर को उक्त प्रकरण में वास्ते अनुसंधान हेतु प्रोडक्सन वारन्ट जारी करवाने हेतु निवेदन किया गया है। पत्रावली में परिवादी श्री बाबूलाल डामोर के पुत्र श्री उमेश डामोर का फोटो मय आधार कार्ड संख्या 442804551781 की छायाप्रति पत्रावली पर संलग्न है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर तीन अन्य श्री प्रतीश कुमार बरन्डा, श्री प्रकाशचन्द्र डामोर व पप्पु बरन्डा के आधार कार्ड की छायाप्रति मय फोटो पत्रावली में संलग्न है। उक्त प्रकरण पत्रावली में परिवादी श्री बाबूलाल डामोर के पुत्र श्री उमेश डामोर व अन्य तीन व्यक्तियों के विरूद्व किसी प्रकार के अपराध में संलिप्तता होने बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। उक्त मूल पत्रावली अग्रिम हेतु अनुसंधान श्री अशोक कुमार सहायक उप निरीक्षक को संभलाई जाकर सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। साथ ही आरोपी श्री जय सिंह डामोर हैड कानि. नम्बर 596 के दिनांक 09.09.2023 से आज दिनांक 13.09.2023 तक आमद रवानगी बाबत् रोजनामचा आम की सत्यापित प्रति प्राप्त की गई। तत्पश्चात् समय करीब 02.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष दिनांक 11.09.2023 को परिवादी श्री बाबूलाल डामोर के मोबाईल नम्बर 9638572512 एवं आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि के मोबाईल नम्बर 8005724436 के मध्य समय करीब 1.42 पी.एम पर हुई मोबाईल फोन वार्ता जिसे परिवादी के मोबाईल फोन को लॉउड मोड पर ऑन कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह व परिवादी को सुनाई गई। जिस पर परिवादी ने एक आवाज अपनी तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. आवाज होना ताईद किया। उक्त जरिये मोबाईल हुई रिकॉर्ड वार्तालाप एवं दिनांक 11.09.2023 को रिकॉर्ड की गई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्ड को लेपटॉप से कनेक्ट कर मौके पर उपस्थित श्री अशोक कुमार कलाल सउनि. को सुनाई गई तो उक्त वार्तालाप में एक आवाज आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. की होना बताया गया। उक्त जरिये मोबाईल रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट श्री लक्षमण सिंह कनि. सहा. से स्थानीय भाषा का रूपांतरण हिन्दी भाषा में करवा कनिष्ठ लिपिक से ही फर्द ट्रांसकिप्ट टाईप करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को श्री टीकाराम कानि. द्वारा सीलचिट किया जाकर गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 03.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा दोनों स्वंतत्र गवाहान के समक्ष आज दिनांक 13.09.2023 को परिवादी श्री बाबूलाल डामोर एवं आरोपी श्री राजू डिन्डोर दलाल के मध्य रोडजेव बस स्टेण्ड डूगरपुर के पास मध्य रूबरू हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता जिसे डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था। उक्त वॉईस रिकार्डर को ब्यूरो के लेपटोप से कनेक्ट कर वार्ता को बारी-बारी से चलाकर स्वतंत्र गवाह परिवादी एवं आरोपी श्री राजू डिन्डोर को सुनाई गई। जिस पर परिवादी एवं आरोपी ने अपनी अपनी आवाज होना ताईद किया। उक्त रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट श्री लक्षमण सिंह कनि. सहा. से स्थानीय भाषा का रूपांतरण हिन्दी भाषा में करवा कनिष्ठ लिपिक से ही फर्द ट्रांसकिप्ट टाईप करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की एक मूल सीडी एवं डब सीडी तैयार करवाई जाकर मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर गवाह एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया। तत्पश्चात् समय करीब 04.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय उपरोक्त स्वतन्त्र गवाहन श्री भीम कुमार वर्मा व श्री अरूण कुमार मीणा व परिवादी श्री बाबूलाल डामोर व डिटेन शुदा आरोपी श्री राजू डिन्डोर को हमराह लेकर सरकारी वाहन मय चालक के पुलिस थाना कोतवाली से घटना स्थल का मौका निरीक्षक हेतु रवाना हुई तथा डिटेन शुदा आरोपी श्री राहुल डिन्डोर को निगरानी हेतु श्री पंकज व श्री मांगीलाल कानिगण को मामूर कर निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 04.40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियनो के सरकारी वाहन के पुलिस थाना कोतवाली डूगरपुर से रवाना शुदा रोडवेज बस स्टेशन डूगरपुर के पास घटना स्थल स्थान चाय की थडी पर पहुचे। परिवादी श्री बाबूलाल डामोर की निशादेही पर घटना स्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटना स्थल मूतिब कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये।

तत्पश्चात् समय करीब 05.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान दिनांक 11.09.2023 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता, जरिये मोबाईल वार्ता एंव आज दिनांक 13.09.2023 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता के दौरान ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में प्रयुक्त मैमोरी कार्ड सेन्डीस्क एल्ट्रा कम्पनी का 16 जीबी बरंग लाल व सलेटी को मूल ही परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकॉर्डर से निकालकर वजह सबूत कवर में रखा जाकर उसे एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिलचिट कर जब्त किया जाकर थैली पर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात् समय करीब 06.00 पी.एम. पर आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. नम्बर 596 के शहर डूगरपुर में रिहायशी मकान 3बी9 हाउसिंग बोर्ड शिवाजी नगर डूगरपुर की मकान फर्द सीलचिट चस्पा फर्द की प्रति श्रीमान् विक्रम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रस्तुत की गई जिस शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात् समय करीब 06.45 पी.एम. पर आरोपी राहुल डिन्डोर के कब्जे से दौराने कार्यवाही मिले एक मोबाईल फोन को कब्जे ब्यूरो लिया जाकर उक्त मोबाईल को वजह सबूत जरिये फर्द

जब्त कर सीलचीट किया जाकर सम्बंधितों के हस्तारक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् समय करीब 07.00 पी.एम. पर आरोपी श्री राजू डिन्डोर का मोबाईल फोन को चेक किया गया तो पूर्व में तथा दिनांक 13.09.2023 को आरोपी श्री जयसिंह हैड कानि. के मोबाईल नम्बर 9414567625 व आरोपी श्री राजू डिन्डोर के मोबाईल नम्बर 9660503752 के मध्य जरिये मोबाईल वार्ता होना मोबाईल कॉल हिस्ट्री से पाया गया है, जो आईन्दा उक्त मोबाईल नम्बरो की कॉल डिटेल दौरानें अनुसंधान प्राप्त की जावेगी तथा आरोपी राजू डिन्डोर के मोबाईल की आटो कॉल रिकॉर्डिंग को चेक किया तो दौराने ट्रेप कार्यवाही आज दिनांक 13.09.2023 को हुई रिश्वत लेन देन के वक्त आरोपी राजू व आरोपी जयसिंह डामोर हैड कानि. के मध्य हुई वार्ता की रिकॉर्डिंग आरोपी श्री राजू के मोबाईल फोन में पाई गई। उक्त मोबाईल को लेपटॉप से कनेक्ट कर वार्तालाप की मूल सीडी व डब सीडी तैयार की गई। उक्त मोबाईल को लेपटॉप कनेक्ट कर उक्त रिकॉर्ड की गई वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट श्री लक्षमण सिंह कानि. सहा. से स्थानीय भाषा का रूपांतरण हिन्दी भाषा में करवा कनिष्ठ लिपिक से ही फर्द ट्रांसकिप्ट टाईप करवाई जाकर स्वंतत्र गवाह एवं आरोपी श्री राजू व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। मूल सीडी को सीलचिट किया जाकर गवाह एवं आरोपी राजू व परिवादी के हस्ताक्षर करवायें गये। डब सीडी को अनसिल्ड रखा गया तथा बाद में आरोपी राजू डिन्डोर के उक्त मोबाईल को वजह सबुत जरिये फर्द जब्त कर सीलचीट किया जाकर सम्बंधितों के हस्तारक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् आरोपीगण 1. श्री राहुल डिन्डोर पिता श्री हकरा जी डिन्डोर उम्र 22 वर्ष निवासी वीरपुर पोस्ट बिलडी तहसील व जिला डूंगरपुर एवं 2. श्री राजू डिन्डोर पिता श्री हकरा जी डिन्डोर उम्र 42 वर्ष निवासी वीरपुर पोस्ट बिलडी तहसील व जिला डूंगरपुर के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए पीसी 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस में प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से नियमानुसार धारा 41 (क) जा.फो की पालना की जाकर जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से फर्द मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान, गिरफ्तारशुदा आरोपीगण 1. श्री राहुल डिन्डोर एवं 2. श्री राजू डिन्डोर, ब्यूरो जाब्ता श्री टीकाराम कानि., श्री सुरेश कानि., श्री मांगीलाल कानि. श्री पंकज कानि. श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक इत्यादि मय ट्रेप बॉक्स मालखाना आर्टीकल लेपटोप प्रिंटर एवं आवश्यक संसाधन के सरकारी व प्राईवेट टेक्सी वाहन से रवाना होकर उदयपुर पर पहुचे। दोनो गवाहान को आवश्यक हिदायत देकर रूखसत किया। कार्यवाही में जब्तशुदा सिलचिट मालखाना आर्टीकल को सुरक्षा की दृष्टि से मालखाना प्रभारी श्री टीकाराम कानि. का संभलाकर मालखाना रजिस्टर में दर्ज करने की हिदायत दी गई।

अतः आरोपी श्री जय सिंह डामोर पिता श्री हीरालाल डामोर उम्र 45 वर्ष मूल निवासी भचांडिया पुलिस थाना धम्बोला जिला डूगरपुर हाल निवास 3 बी 9 हाउसिंग बोर्ड शिवाजी नगर जिला डूंगरपुर हाल हैड कानि. नम्बर 596, पुलिस थाना कोतवाली जिला डूगरपुर द्वारा एक लोक सेवक के पद पर होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री बाबूलाल डामोर के पुत्र श्री उमेश डामोर व अन्य तीन व्यक्तियो को पुलिस थाना कोतवाली डूगरपुर के मोटर साईकिल चोरी के मामले में आरोपी नहीं बनाने की एवज् में 1,20,000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग स्वयं तथा थानाधिकारी से की थी तथा परिवादी बाबूलाल डामोर व अन्य तीन आरोपियो के परिजनो से डरा धमकाकर 40,000 रूपये पूर्व पुलिस थाना कोतवाली पर ही ले लिये थे तथा शेष रिश्वती राशि 80,000 रूपये प्रत्येक आरोपी के हिसाब से 20,000–20,000 रूपये प्रत्येक से वसूलने का दबाव बना रहे थे। रिश्वत राशि नहीं देने पर मुकदमे में आरोपी बनाने की धमकी दी गई थी, जिस पर परिवादी श्री बाबूलाल डामोर द्वारा पेश शुदा प्रार्थना पत्र पर अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही दिनांक 11.09.2023 को करवाई गई तो जिसमें आरोपी जयसिंह डामोर हैड कानि. ने परिवादी बाबूलाल डामोर से उसके पुत्र उमेश डामोर को मुकदमे में आरोपी नहीं बनाने की एवज् में 20,000 रूपये की मांग की जाकर अपनी मांग के अनुसार उक्त राशि में से 5000 रूपये न्यू रोडवेज बस स्टेण्ड डूगरपुर पर स्थित चाय की थडी पर उसके दलाल श्री राहुल डिन्डोर को उक्त राशि दिलवाई गई तथा शेष राशि 15,000 रूपये दलाल राहुल डिन्डोर को ही देने के लिए श्री जय सिंह डामोर हैड कानि. द्वारा कहा गया था। श्री राहुल डिन्डोर प्राईवेट व्यक्ति दलाल द्वारा भी मांग सत्यापन वार्ता में उक्त सम्बन्ध में सहमति दी जाकर 5000 रूपये श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. की मांग के अनुसार ग्रहण कर शेष राशि 15,000 रूपये उसे देने के लिए परिवादी बाबूलाल को कहा गया था तथा श्री राहुल डिन्डोर प्राईवेट व्यक्ति दलाल द्वारा यह भी कहा गया था कि श्री जय सिंह डामोर हैड साहब हर कहीं पैसे नहीं दिलवाते, ये तो सिस्टम है। इस प्रकार स्पष्ट है कि श्री राहुल डिन्डोर प्राईवेट व्यक्ति दलाल द्वारा श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. के साथ मिलीभगत कर रिश्वत राशि का लेन देन उक्त चाय की थडी पर किया जाता था। तत्पश्चात् दिनांक 13.09.2023 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आयोजित की जाकर परिवादी श्री बाबूलाल डामोर से शेष रिश्वती राशि 15,000 रूपये

उसी चाय की थडी पर श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. द्वारा दौराने ट्रेप कार्यवाही दलाल श्री राहुल डिन्डोर के उपस्थित नहीं होने पर उसके भाई श्री राजू डिन्डोर को स्वयं की मांग के अनुसार दिलवाई गई थी। इस सम्बन्ध में श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. एवं परिवादी श्री बाबूलाल डामोर के फोन पर वार्ता भी हुई थी। जिससे ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया था। इसी प्रकार अन्य दलाल श्री राजू डिन्डोर को भी आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. द्वारा स्वयं की मांग के अनुसार शेष रिश्वती राशि उपस्थित अन्य दलाल श्री राजू डिन्डोर जो श्री राहूल डिन्डोर का ही भाई था को उसके नम्बर पर फोन कर दिलवाई गई थी। दलाल श्री राजू डिन्डोर एवं आरोपी श्री जयसिंह डामोर द्वारा उनके मोबाईलो पर हुई उक्त वार्ता आरोपी राजू डिन्डोर के मोबाईल के आटो रिकॉर्डिंग मोड पर रिकॉर्ड हो गई थी जिसे बतौर साक्ष्य कार्यवाही में शामिल किया गया। आरोपी श्री जयसिंह डामोर हैड कानि. 596 की तलाश जारी है तथा थानाधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह सोलंकी की भूमिका संदिग्ध होने से विस्तृत अनुसंधान से स्पष्ट होगी। आरोपीगण द्वारा किया गया उक्त कृत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने से आरोपीगण के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी भादस में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय

(डां. सोनू शेखावत)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
उदयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. सोनू शेखावत, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भादसं. में आरोपी श्री जयसिंह डामोर पिता श्री हीरालाल डामोर, निवासी भचडिया पुलिस थाना धम्बोला जिला डूंगरपुर हाल निवासी 3बी 9 हाउसिंग बोर्ड शिवाजी नगर जिला डूंगरपुर हाल हैड कानि0 नं0 596, पुलिस थाना कोतवाली जिला डूंगरपुर 2. श्री राहुल डिन्डोर पुत्र श्री हकरा जी डिन्डोर, निवासी वीरपुर पोस्ट बिलडी तहसील तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) 3. श्री राजू डिन्डोर पुत्र श्री हकरा जी डिन्डोर, निवासी वीरपुर पोस्ट बिलडी तहसील तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर प्राईवेट व्याक्त (दलाल) के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 246/2023 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

14.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 2765-68 दिनांक 14.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला डूंगरपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।

14.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।